न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : **98/2019**
GCMS No. : **2019/00079**

–:: वादी ::– बनाम **–:: प्रतिवादी ::–**

1. पोकरराम पुत्र घीसाराम
   जाति– जाट,
   निवासी–डिगरना,
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली
   राज.।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली
   राज.।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.27/05/2019

उपस्थितः–

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण एवं पैरोकार राज।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 15/03/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा डिगरना पटवार हल्का डिगरना में वादी व अन्य सहहिस्सेदारों की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 558 रकबा 03–17 बीघा, खसरा नम्बर 615 रकबा 16–12 बीघा, खसरा नम्बर 81 रकबा 06–06 बीघा, खसरा नम्बर 575 रकबा 07–17 बीघा, खसरा नम्बर 582 रकबा 04–15 बीघा आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी की जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी वादी की पैतृक पुश्तैनी आराजी थी तथा वादी के पिताजी के देहान्त होनें के बाद उक्त आराजी उक्त आराजी में तत्कालीन आरआई पटवारीन ने फौतेदगी म्युटेशन पारित करते समय वादी के सही नाम का आकंलन किये बिना ही अपनी मनमर्जी से उक्त आराजी में वादी का नाम अमराराम पुत्र घीसाराम इन्द्राज कर दिया जबकि वादी का सही नाम पोकरराम पुत्र घीसाराम है जो वादी के अन्य सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, जॉब कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र एवं बैंक खाते [illegible] सभी सरकारी दस्तावेज जिसमें वादी का सही नाम पोकरराम [illegible] एवं वास्तव में भी वादी का सही नाम पोकरराम पुत्र घीसाराम है वादी [illegible] नाम अमराराम तत्कालीन आरआई पटवारी ने भूलवश लिपिकीय त्रुटि से इन्[illegible] कर दिया तथा ग्राम डिगरना अमराराम पुत्र घीसाराम नाम का भी कोई व्यक्ति भी नहीं है और इसके सत्यापन हेतु ग्राम पंचायत डिगरना के सरपंच का प्रमाण पत्र भी वादपत्र के साथ संलग्न है जिससे भी स्पष्ट है कि अमराराम पुत्र घीसाराम नाम का व्यक्ति ग्राम डिगरना में नहीं जबकि वादी का नाम पोकरराम पुत्र घीसाराम की बजाय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अमराराम पुत्र घीसाराम कर दिया है जो कि एक लिपिकीय त्रुटि है जो काबिल दुरुस्त के है इसलिए यह नाम दुरुस्ती का यह वाद घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादी के पेश हैं। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का सही नाम पोकरराम पुत्र घीसाराम की बजाय अमराराम पुत्र घीसाराम इन्द्राज हो जाने से वादी को अनेको प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं जिसमें वादी अपनी आराजी से प्राप्त होनें वाली सभी प्रकार के सरकारी अनुदान से वंचित हो रहा है तथा वादी के सरकारी दस्तावेज में सही नाम इन्द्राज है परन्तु राजस्व रेकर्ड में गलत नाम अमराराम पुत्र घीसराम इन्द्राज होनें से वादी को कृषि ऋण लेने व बिजली कनेक्शन लेने व अन्य कृषि विभाग से मिलने वाली सब्सिडियों से भी वादी गलत नाम के आधार पर वंचित रह रहा है इसलिये वादी के पास नाम दुरुस्त करवानें के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहनें से यह वादपत्र घोषणा को विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। वादी ने दिनांक 15.05.2019 को राजस्व रेकर्ड नकले प्राप्त कर कृषि ऋण लेने हेतु सम्बन्धित सहकारी बैंक से सम्पर्क किया एवं जरूरतमंद सभी दस्तावेज की एक फाईल तैयार कर वहां पेश की तो सम्बन्धित बैंक के अधिकारियों ने वादी को यह कहते हुये ऋण देनें से इन्कार कर दिया कि आपका नाम राजस्व रेकर्ड में अलग है इसलिए आप किसी तरह के ऋण प्राप्त करनें के पात्र नहीं हों तब वादी ने उसी रोज एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के समक्ष पेश कर नाम दुरुस्ती का निवेदन किया है तो प्रतिवादी द्वारा इन्कार होनें एवं सम्बन्धित कार्यालय में वादपत्र प्रस्तुत करनें का कहने पर यह वादपत्र बाबत् घोषणा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। बिनाय वाद दिनांक 15.05.2019 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करनें एवं उसमें वादी का नाम गलत होनें का इन्द्राज होनें पर प्रार्थनापत्र प्रतिवादी के समक्ष पेश करनें एवं प्रतिवादी द्वारा नाम दुरुस्ती से इन्कार रकरनें का कहने पर बमुकाम डिगरना तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार का है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा मय वस्तु स्थिति रिपोर्ट पेश की, जो सा.मि. है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। ग्राम डिगरना तहसील जैतारण की जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 प्रदर्श P1 से P4 के खसरा नम्बर 5[illegible] रकबा 03-17 बीघा, खसरा नम्बर 81 रकबा [illegible] बीघा, खसरा नम्बर 615 रकबा 16-12 बीघा, खसरा नम्बर 582 रकबा 04-[illegible] बीघा भूमि नम्बर 575 रकबा 07-17 बीघा, खसरा नम्बर [illegible] दर्ज है। साक्ष्य [illegible] वादी द्वारा में अमरा पुत्र घीसाराम बतौर सह खातेदार [illegible] का सही एवं प्रस्तुत PW 01- वादी पोकरराम का साक्ष्य शपथ पत्र के अनुसार [illegible] का सही एवं वास्तविक नाम पोकरराम पुत्र घीसाराम है न की अमराराम पुत्र घीसाराम तथा पोकरराम तथा अमराराम एक ही व्यक्ति है। वादी के अन्य समस्त दस्तावेज पोकरराम के नाम से है तथा जमाबन्दी में नाम अमराराम पुत्र घीसाराम दर्ज होनें

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

से उसें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रदर्श 5ए– वादी का परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श 6ए– वादी भामाशाह कार्ड एवं प्रदर्श 7ए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रदर्श 8 सरपंच डिगरना द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का सही एवं वास्तविक नाम पोकरराम पुत्र घीसाराम है। वादी पोकरराम पुत्र घीसाराम एवं अमराराम पुत्र घीसाराम वस्तुतः एक ही व्यक्ति है तथा ग्राम डिगरना में अमराराम पुत्र घीसाराम नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। अतः वादी शपथ पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात् के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम पोकरराम पुत्र घीसाराम है न कि अमराराम पुत्र घीसाराम। भू अभिलेख में दर्ज अमराराम पुत्र घीसाराम वस्तुतः एक लिपिकीय दोष से जनित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा डिगरना पटवार हल्का डिगरना तहसील–जैतारण जिला–पाली के खसरा नम्बर 558 रकबा 03–17 बीघा, खसरा नम्बर 615 रकबा 16–12 बीघा, खसरा नम्बर 81 रकबा 06–06 बीघा, खसरा नम्बर 575 रकबा 07–17 बीघा, खसरा नम्बर 582 रकबा 04–15 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज प्रविष्टि अमराराम पुत्र घीसाराम जाति जाट सा0देह खातेदार में से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि **"अमराराम पुत्र घीसाराम"** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि **"पोकरराम पुत्र घीसाराम"** दर्ज करते हुये वादी पोकरराम पुत्र घीसाराम कौम जाट निवासी डिगरना तहसील–जैतारण जिला–पाली को उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करते हुए इसी कदर वाद डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस आदेश का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से 1 कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 15/03/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:29 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 290/2018

GCMS No. : 2018/00329

–:: वादी ::– बनाम –:: प्रतिवादी ::–

1. पोकरराम पुत्र घीसाराम जाति– जाट, निवासी–डिगरना, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत घोषणा
अन्तर्गत धारा 88,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०न० :– रा०वा० स०: 98/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरु ....–........ व हाजरी श्री रामस्वरुप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री सरकारी पैरोकार राज, तहसीलदार जैतारण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा डिगरना पटवार हल्का डिगरना तहसील–जैतारण जिला–पाली के खसरा नम्बर 558 रकबा 03–17 बीघा, खसरा नम्बर 615 रकबा 16–12 बीघा, खसरा नम्बर 81 रकबा 06–06 बीघा, खसरा नम्बर 575 रकबा 07–17 बीघा, खसरा नम्बर 582 रकबा 04–15 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज प्रविष्टि अमराराम पुत्र घीसाराम जाति जाट सा०देह खातेदार में से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि **''अमराराम पुत्र घीसाराम''** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि **''पोकरराम पुत्र घीसाराम''** दर्ज करते हुये वादी पोकरराम पुत्र घीसाराम कौम जाट निवासी डिगरना तहसील–जैतारण जिला–पाली को उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करते हुए इसी कदर वाद डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस आदेश का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से 1 कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–..... करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 4/3/2019 को जारी किया गया ।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	04	00	महनताना वकील	/	
महनताना वकील	/		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	02	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः–	08	00	मिजानः–	Nil	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:29 IST
Reason: SelfAttested